



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/23926 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूचि "भाग-1 एवं भाग-2" में सम्मिलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती है:-

अनुसूची "भाग-1"

| क्र.सं | अनुसूचित नियोजनों के नाम |
|--------|--|
| 1 | सोप स्टोन फैक्ट्रीज |
| 2 | कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज |
| 3 | ऑटोमोबाईल वर्कशॉप |
| 4 | कॉटनडाईंग-, प्रिन्टिंग तथा वाशिंगफैक्ट्रीज |
| 5 | स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज |
| 6 | गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन |
| 7 | वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज |
| 8 | पावरलूम फैक्ट्रीज |
| 9 | प्रिंटिंग प्रेस |
| 10 | सिनेमा इण्डस्ट्रीज |

| | |
|----|--|
| 11 | तेल मिल (मिल ऑयल) |
| 12 | इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज |
| 13 | वूल क्लनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज |
| 14 | हैण्डलूम उद्योग |
| 15 | मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपानके नियोजन |
| 16 | दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान |
| 17 | कॉटन वेस्ट स्पनिंग फैक्ट्रीज |
| 18 | किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन |
| 19 | सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन |
| 20 | अभ्रक कर्मन्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त) |
| 21 | किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन |
| 22 | सड़को के संन्निर्माणया अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन |
| 23 | सरकारी कार्यालयों में कंटिजेन्सी एण्डवर्क्स में मण्डलों तथा निगम जिसमें आकस्मिक (नियुक्तश्रमिक/कामगार शामिल भी है) |
| 24 | विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन |
| 25 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार |
| 26 | सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार |
| 27 | सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजितश्रमिक/कामगार |
| 28 | जट पट्टी उद्योग |
| 29 | होटल एवं रेस्टोरेन्ट |
| 30 | निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन |
| 31 | निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स जो(सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो में) नियोजन। |
| 32 | केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन |
| 33 | सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योगमें नियोजन |
| 34 | कोल्ड ड्रिक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्सकी मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन |
| 35 | कोल्ड स्टोरेज में नियोजन |
| 36 | कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन |
| 37 | फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखानेजो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन |
| 38 | गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन |
| 39 | खादी, हैण्डिक्राफ्ट्स एवं विलेजइण्डस्ट्रीज में नियोजन |
| 40 | एल.पी.जी. वितरण एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन |
| 41 | मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स कोऑपरेटिव-सोसायटीज में नियोजन |
| 42 | मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन |
| 43 | पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवंफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन |

| | |
|----|--|
| 44 | पेट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन |
| 45 | एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन |
| 46 | स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं हैं |
| 47 | टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन |
| 48 | टैक्सिज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग एजेन्सीज में नियोजन |
| 49 | टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन |
| 50 | टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन |
| 51 | वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन |

अनुसूची "भाग-II"

| क्र.सं | अनुसूचित नियोजनों के नाम |
|--------|--|
| 52 | (कृषि में नियोजन) - किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है) |

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

| अनुसूची भाग-I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों /कर्मचारी का वर्गीकरण | न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में) | |
|--|---------------------------------------|----------|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन |
| 1 | 2 | 3 |
| अकुशल -बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर, फर्शा, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रौली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईंग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्क्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रौलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक केरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोर्टर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100-100 घटाकर वेतन देय | 7410/- | 285/- |

| | | |
|--|--------|-------|
| होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों) | | |
| <p>2. अर्द्धकुशल - मुंशी, भू मापक, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे-मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिस्टेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिस्टेन्ट फिटर, अस्सिस्टेन्ट कारपेन्टर, अस्सिस्टेन्ट टर्नर, अस्सिस्टेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिस्टेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिस्टेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जीगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिस्टेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिंग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिस्टेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाइण्डिंग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्लिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोर्जर, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)</p> | 7722/- | 297/- |
| <p>3. कुशल - मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रैक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्तितक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विपमेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेन्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर,</p> | 8034/- | 309/- |

| | | |
|---|--------|-------|
| <p>ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाइजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्षनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिस्टेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाइजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर, डाईंग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन, कार्डिंग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिंग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्ब्लर, स्क्रिन प्रिन्टिंग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कुशिंग एण्ड पिगमेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिस्टेंट तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)</p> | | |
| <p>4 उच्च कुशल (Highly Skilled), स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पावर, फार्मेसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, कुक, मेल/फिमेल, नर्स तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)</p> | 9334/- | 359/- |

टिप्पणियाँ:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।

6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. पार्ट टाइम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
10. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अति० श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोड़कर) में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/23962 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" नियोजन में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती हैं:-

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए) |
|---------|---|--------------|---|
| 1.00 | भवननिर्माण | | |
| 1.01 | नीव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैकना | | |
| | (अ) साधारण मिट्टी | 2.00 घ.मी . | 285.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपए) |
|---------|---|--------------|---|
| | (ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में | 1.61 घ.मी . | 285.00 |
| | (स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90 | 1.07 घ.मी . | 285.00 |
| 1.02 | अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए | 12.50 घ.मी . | 285.00 |
| 1.03 | अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए | 4.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.04 | नींव में धाडला, कंकर या झाड़ाराडालना तथा कुटाई करना | 4.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.05 | नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बॉन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी में लगाना | 5.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.06 | नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि; नापीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना | 0.38 घ.मी . | 285.00 |
| 1.07 | नींव में सीमेंट कांक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना | 0.47 घ.मी . | 285.00 |
| 1.08 | नींव में गारा मिट्टी कोकांक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना | 0.71 घ.मी . | 285.00 |
| 1.09 | नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में | 1.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.10 | नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना-में मसाले | 1.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.11 | नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंट में मसाले- | 1.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.12 | अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचना में | 3.23 घ.मी . | 285.00 |
| 1.13 | ईंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में | 5.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.14 | नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में | 0.71 घ.मी . | 285.00 |
| 1.15 | अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु | 2.86 घ.मी . | 285.00 |
| 1.16 | रद्दा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम | 6.25 व.मी. | 285.00 |
| 1.17 | पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना | 3.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.18 | पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना | 1.59 व.मी. | 285.00 |
| 1.19 | पत्थर के टांड, ताक लगाना | 7.69 व.मी. | 285.00 |
| 1.20 | पत्थर के छज्जे लगाना | 3.81 व.मी. | 285.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए) |
|---------|--|-----------------|---|
| 1.21 | पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में | 10.00व.मी. | 285.00 |
| 1.22 | पट्टियों की छत पर ईट गाराखंडजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना | 1.18व.मी. | 285.00 |
| 1.23 | पक्के ईट के टुकड़े या पत्थर केपच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना | 9.09व.मी. | 285.00 |
| 1.24 | छत के ऊपर खड़ी ईट का वर्गाकारखंडजा मसाले में लगाना | 5.56व.मी. | 285.00 |
| 1.25 | 90 मि.मी. दड़ का चूने मोटा औसतडालना, थप्पी देना, कूटना आदि | 2.86 व.मी. | 285.00 |
| 1.26 | सीमेंट कांक्रीट दड़ स्टील केसाथ | 2.78व.मी. | 285.00 |
| 1.27 | आर.सी.सी. कार्य में सीमेन्ट कंक्रीट डालना | 0.4व.मी. | 285.00 |
| 1.28 | सेंट्रिंग, शटरिंग | 6.66व.मी. | 285.00 |
| 1.29 | आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि | 100.00 कि.ग्रा. | 285.00 |
| 1.30 | लोहे की इस्पात चद्दरों की छतडालना | 12.27व.मी. | 285.00 |
| 1.31 | एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना | 23.00व.मी. | 285.00 |
| 1.32 | एक्सपो नालीदार चादर की छतडालना | 22.50व.मी. | 285.00 |
| 1.32 | लोहे के गर्डर को काटना, चढाना, लगाना | 66.73 व.मी. | 285.00 |
| 1.34 | 3 मी. पटाव वाली कडियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना | 1.35व.मी. | 285.00 |
| 1.35 | जेक डाट की छत पूर्ण कार्य | 2.13 घ.मी . | 285.00 |
| 1.36 | फर्श के नीचे सूखे पत्थरों काखंडजा लगाना | 3.33 घ.मी . | 285.00 |
| 1.37 | फर्श में चूना कांक्रीट डालना | 0.56 घ.मी . | 285.00 |
| 1.38 | फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीट डालना | 0.61 घ.मी . | 285.00 |
| 1.39 | 50मि.मी.मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य | 4.35व.मी. | 285.00 |
| 1.40 | कोटा स्टोन को मसाले के ऊपरलगाना | 5.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.41 | मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित | 5.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.42 | मार्बल का फर्श लगाना घिसाईसहित | 3.13 व.मी. | 285.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए) |
|---------|---|--------------|---|
| 1.43 | मार्बल/कोटा स्टोन की स्कटिंग लगाना घिसाई सहित | 4.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.44 | चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई | 6.25 व.मी. | 285.00 |
| 1.45 | सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई | 7.69 व.मी. | 285.00 |
| 1.46 | सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त | 16.67 व.मी. | 285.00 |
| 1.47 | टीप का कार्य सीमेंट मसाले में | 12.50 व.मी. | 285.00 |
| 1.48 | सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर) | 50.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.49 | इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर) | 18.52 व.मी. | 285.00 |
| 1.50 | दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के) | 4.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.51 | सीमेंट-कंकरीट की जाली लगाना | 3.60 व.मी. | 285.00 |
| 1.52 | जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित | 100.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.53 | जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित | 80.00 व.मी. | 285.00 |
| 1.54 | एस्बेस्टस सीमेंट के पाईप लगाना | 16.67 मी. | 285.00 |
| | सड़क कार्य | | |
| 1.55 | पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टालगाना, गड्ढा ठीक करना | | |
| | (1) 150 से 300 मि.मी. लपेट वाले | 2.00 पेड़ | 285.00 |
| | (2) 300 से 600 मि.मी. लपेट वाले | 1.00 पेड़ | 285.00 |
| | (3) 600 से 900 मि.मी. लपेट वाले | 0.57 पेड़ | 285.00 |
| | (4) 900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले | 0.40 पेड़ | 285.00 |
| | (5) 1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले | 0.29 पेड़ | 285.00 |
| | (6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले | 0.20 पेड़ | 285.00 |
| 1.56 | मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना | | |
| | (1) साधारण मिट्टी | 4.00 घ.मी. | 285.00 |
| | (2) सख्त चिकनी-मिट्टी में | 2.50 घ.मी. | 285.00 |
| | (3) कंकर मिट्टी में | 1.82 घ.मी. | 285.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए) |
|---------|--|--------------|---|
| | (4)मुलायम चट्टान | 1.11 घ.मी . | 285.00 |
| 1.57 | विस्फोट किये हुये चट्टान सेपत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना | 0.71 घ.मी . | 285.00 |
| 1.58 | पत्थरों को निम्न नापीय माप मेंतोड़ना | | |
| | (1) 80 मि.मी. नापीय माप के | 3.03 घ.मी . | 285.00 |
| | (2) 63 मि.मी. नापीय माप के | 2.63 घ.मी . | 285.00 |
| | (3) 40 मि.मी. नापीय माप के | 1.00 घ.मी . | 285.00 |
| | (4) 20 मि.मी. नापीय माप के | 0.80 घ.मी . | 285.00 |
| | (5) 12 मि.मी. नापीय माप के | 0.50 घ.मी . | 285.00 |
| | (6) 10 मि.मी. नापीय माप के | 0.40 घ.मी . | 285.00 |
| 1.59 | झामा ईंटों को निम्न नापीय मापमें तोड़ना | | |
| | (1) 63 मि.मी. नापीय माप में | 2.00 घ.मी . | 285.00 |
| | (2) 40 मि.मी. नापीय माप में | 1.51 घ.मी . | 285.00 |
| | (3) 20 मि.मी. नापीय माप में | 0.91 घ.मी . | 285.00 |
| | (4) 10 मि.मी. नापीय माप में | 0.80 घ.मी . | 285.00 |
| 1.60 | पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना | 5.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.61 | पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना | 7.14 घ.मी . | 285.00 |
| 1.62 | सामग्री का केवल चट्टा लगाना | 15.97 घ.मी . | 285.00 |
| 1.63 | मिट्टी का कार्य, भराई में सडक के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी.जाना ले तक, डले तोड़नातथा 2 से.मी. व केम्बर कर समतल बिछाना में परतों बनाना ग्रेड | | |
| | (1) साधारण मिट्टी में | 3.45 घ.मी . | 285.00 |
| | (2) सख्त चिकनी मिट्टी में | 2.27 घ.मी . | 285.00 |
| | (3) कंकर मिट्टी में | 1.69 घ.मी . | 285.00 |
| 1.64 | सडक निश्चित केम्बर, ग्रेड मेंग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा | 3.33 घ.मी . | 285.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए) |
|---------|--|----------------|---|
| | कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. में मोटाई कम सेबिछाना व फैलाना | | |
| 1.65 | डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियलडालना से रोलर) (अलावा के कुटाई | 1.72 घ.मी . | 285.00 |
| 1.66 | बेरद्वा ढोका 23 से.मी. उंचाईमें, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्तमिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना । | 3.33 व.मी. | 285.00 |
| | बिना मसाले के सूखासीमेन्ट/बजरी | 3.13 व.मी. | 285.00 |
| 1.67 | किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना | 4.03 घ.मी . | 285.00 |
| 1.68 | सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (अतिरिक्त के चलाने मशीन कम्पन), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु | 0.61 घ.मी . | 285.00 |
| | सामाजिक वानिकी | | |
| 1.69 | 1.50x0.90x1.2 मीटर माप की खड्का बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना | | |
| | (1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.) | 1.23 खड्डेबाड़ | 285.00 |
| | (2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.) | 1.0 खड्डेबाड़ | 285.00 |
| | (3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.) | 0.66 खड्डेबाड़ | 285.00 |
| 1.70 | डोला फेन्सिंग जिसमें नीचे काआधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. उंचाई और 1.2 मीटर हो | | |
| | (1) साधारण मिट्टी में | 5.00 मी. | 285.00 |
| | (2) सख्त मिट्टी में | 3.33 मी. | 285.00 |
| | (3) कंकर-मूरम मिट्टी में | 2.50 मी. | 285.00 |
| 1.71 | उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना | 1.43 घ.मी. | 285.00 |
| 1.72 | 45x45x45से.मी.के मापगड्डे करना | | |
| | (1) साधारण मिट्टी में | 22.00गड्डे | 285.00 |
| | (2) सख्त चिकनी मिट्टी में | 20.00गड्डे | 285.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए) |
|---------|--|--------------|---|
| | (3) कंकर-मूरम मिट्टी में | 10.00गड्डे | 285.00 |
| 1.73 | पौधा रोपण करना | | |
| | (1) सामान्य जमीन में | 45.00पौधा | 285.00 |
| | (2) पथरीली जमीन में | 37.00पौधा | 285.00 |
| 1.74 | बीज बुवाई बनाये गये रिज पर | 227.00पौधा | 285.00 |
| 1.75 | पौधों को पानी पिलाना | 77.00पौधा | 285.00 |
| 1.76 | पौधों की निडाईगुडाई- | 111.00पौधा | 285.00 |
| 1.77 | थांवला बनाना | | |
| | (1) सामान्य जमीन में | 77.00नग | 285.00 |
| | (2) पथरीली जमीन में | 56.00नग | 285.00 |
| 1.78 | उडते हुए रेत टीलों पर 50 मी.दूरी तक से सनिया छीप उखाड कर लाना और मलचिंग करना | 18.00 मी. | 285.00 |
| | सिंचाई | | |
| 1.79 | मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. में परत डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलरसे मिट्टी दबाना | | |
| | (1) साधारण मिट्टी में | 2.10 घ.मी . | 285.00 |
| | (2) कठोर मिट्टी में | 1.90 घ.मी . | 285.00 |
| 1.80 | सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा) | 0.61 घ.मी . | 285.00 |
| 1.81 | 15 से 30 से.मी. से हथोड़े मोटेतरासे हुए पत्थर से पिचिंग | 2.00 घ.मी . | 285.00 |
| 1.82 | फिल्टर टो में परतों में धुलीमोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में | 1.52 घ.मी . | 285.00 |
| 1.83 | फिल्टर टो में परतों में धुलेहुए बेलास्ट- गए चाहे को ग्रेवल में प्रोफाइल | 2.00 घ.मी . | 285.00 |
| | स्वच्छता | | |
| | जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना | | |
| 1.84 | मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्यमय फिटिंग | 2.00नग | 285.00 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए) |
|---------|---|--------------|---|
| 1.85 | हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्यमय फिटिंग | 3.33नग | 285.00 |
| 1.86 | जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित | 3.33नग | 285.00 |
| | (1) 15 मि.मी. व्यास | 28.57 मी. | 285.00 |
| | (2) 25 मि.मी. व्यास | 22.22 मी. | 285.00 |
| 1.87 | पाषाण भाण्ड(एस.डब्ल्यू.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को। | 6.67 मी. | 285.00 |
| 1.88 | चाइना क्ले की चमकीली टाईल लगाना | 6.67 व.मी. | 285.00 |
| 1.89 | आरसीसी कर्व लिए के कुएं का तैयार करना तथा कुएं में बैठाना | | |
| | (1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए | 3.57कर्व | 285.00 |
| | (2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए | 2.27कर्व | 285.00 |
| | (3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए | 1.61कर्व | 285.00 |
| | (4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए | 1.14कर्व | 285.00 |
| 1.90 | आर.सी.सी.के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना | | |
| | (1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी) | 12.50रिंग | 285.00 |
| | (2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची) | 10.00रिंग | 285.00 |
| | (3) 1.50मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची) | 6.67रिंग | 285.00 |
| | (4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची) | 5.00रिंग | 285.00 |

टिप्पणियां:-

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।

2. अनुसूचित में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
5. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अति० श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में " विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन" में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) न्यू.म.अभि./ श्रम/आई.आर./2000/ पार्ट/ 24143 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रास्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में " विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन" में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती हैं:-

| क्र.सं. | अनुसूचित नियोजन का नाम | कर्मचारियों के वर्ग | न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में) |
|---------|---|---|---|
| 1 | विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन | <u>उच्च कुशल:-</u> विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (एम.आर.) | 359/-रूपये प्रतिदिन या 9334/-रूपये प्रतिमाह |

टिप्पणियाँ-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. उच्च कुशल (Highly Skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरे ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,

अति० श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में "ईंट भट्टों के उद्योग में नियोजन" में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/ पार्ट/ 24097 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में "ईंट भट्टों के उद्योग में नियोजन" में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती है :-

ईंट भट्टों के उद्योग में पीस रेट न्यूनतम मजदूरी की दरें

| क्र.सं. | श्रमिकों/ कर्मचारियोंके वर्ग | कार्य की मात्रा | पीस रेट न्यूनतम मजदूरी(रुपयेमें) |
|---------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | पथर (कच्ची ईंट की थपाई) | 1000 ईंट प्रति व्यक्ति | 309/- |
| 2 | भराईवाला | 1000 ईंट प्रति व्यक्ति | 181/- |
| 3 | निकासीवाला | 1000 ईंट प्रति व्यक्ति | 199/- |
| 4 | पक्की ईंट की लोडिंग | 1000 ईंट प्रति व्यक्ति | 142/- |
| 5 | गड्डी बंद कराई | प्रति गड्डी प्रति व्यक्ति | 153/- |
| 6 | जलाई वाला | | 309/- प्रतिदिन |
| 7 | जलाईमिस्त्री | | 9334/-प्रतिमाह |
| 8 | सफाई प्रति गेड | | 285/-प्रतिदिन |
| 9 | बैलदार / राप्सया | | 285/-प्रतिदिन |
| 10 | पाणतिया | | 297/-प्रतिदिन |

| | | |
|----|--------|---------------|
| 11 | जमादार | 309/-प्रतिदिन |
|----|--------|---------------|

टिप्पणियाः-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
4. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घंटे प्रतिदिन) से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
5. (क) अकुशल (Unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।
(ख) अर्द्धकुशल (Semi skilled) वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी सम्मिलित है।
(ग) कुशल (Skilled) वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवर एवं भीलवाड़ा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अति० श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :-चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में **"घरों में नियोजित श्रमिक" (Domestic worker)** में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) न्यू.म.अभि./ श्रम/आई.आर./2000/ पार्ट/ 24188 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में **"घरों में नियोजित श्रमिक" (Domestic worker)** में नियोजित कर्मचारी/श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती हैं :-

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

| क्र.सं. | नियोजन की प्रकृति | श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हों) | प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में) |
|---------|--|--|---|
| 1 | बर्तन धोने का कार्य | 60 मिनट (अधिकतम प्रतिदिन) | 923.00 |
| 2 | कपड़े धाने का कार्य | 60 मिनट (अधिकतम प्रतिदिन) | 923.00 |
| 3 | कपड़े धोना-बर्तन धोना | 60 मिनट (अधिकतम प्रतिदिन) | 923.00 |
| 4 | कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई | 60 मिनट (अधिकतम प्रतिदिन) | 923.00 |
| 5 | अन्य घरेलू कार्य | 60 मिनट (अधिकतम प्रतिदिन) | 923.00 |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
| 6 | कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य | एक दिन का कार्य | 8034.00 |
|---|---|-----------------|---------|

टिप्पणियां-

1. यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ जाएगी।
2. एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
3. यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं। तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
4. उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
5. यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावगी।
6. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभेक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
7. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अति० श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।